

राज्यपाल ने आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले वधियक को वापस लौटाया

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछड़े वर्गों के लिये आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले वधियक को वापस कर दिया है।

प्रमुख बदि

- वदिति है कयिह वधियक अन्य पछिडा वर्ग कोटे को 14% से बढाकर 27%, अनुसूचति जनजातके कोटे को 26% से बढाकर 28% और अनुसूचति जातके कोटे को 10% से 12% करने का प्रस्ताव करता है।
- ऐसे में अगर यह बलि पारति होता है तो राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10% आरक्षण को शामिल करने के साथ सरकार की नौकरियों में कुल आरक्षण 77 प्रतिशत हो जाएगा।
- इस मामले में जानकारी देते हुए राज्यपाल कार्यालय के अधिकारी ने कहा कयिह बलि भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय के आधार पर लौटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा क झारखंड के पछिले राज्यपाल रमेश बैस ने इस बलि को अटॉर्नी जनरल को भेजा था, जनिहोंने कहा है क बलि में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में नहीं रखा गया है।